कार्यालय मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
इलाहाबाद

पत्रांक :- 623 /29याता(प्रता0)-इ0क्षे0/17 दिनांक :- 25/01/2018

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रतापगढ़।

विषय :- जनपद प्रतापगढ़ में गाटा सं0–1406, ग्राम–नरई, तहसील–कुण्डा, प्रतापगढ़ के लालगंज–कालाकांकर मार्ग के मध्य (प्र0जि0मा0–102) के किमी0–20 (चैनेज–19.380 किमी0) में बांयी तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ का पत्रांक मेमो/जे0ए0/2018 दिनांक 01.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित जनपद प्रतापगढ़ में गाटा सं0–1406, ग्राम–नरई, तहसील–कुण्डा, प्रतापगढ़ के लालगंज–कालाकांकर मार्ग के मध्य (प्र0जि0मा0–102) के किमी0–20 (चैनेज–19.380 किमी0) में बांयी तरफ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की आख्या के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत प्रमुख जिला मार्गों पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर, मार्ग के मध्य बिन्दु से संलग्न मानचित्र के अनुसार 18.30 मी0 (60 फिट) से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्रीवाल का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 (60 फिट) की दूरी पर एक तरफ की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
3. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उसके नाम भूस्वामी द्वारा पंजीकृत लीज–डीड का निष्पादन न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
4. संलग्न मानचित्र एवं भविष्य को देखते हुए प्रथम फिलिंग प्वाइंट 32.36 मी0 तथा द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 41.36 मी0 से कम दूरी पर न बनाया जाय।
5. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर व्यास की ह्यूम पाइप (एन0पी0–3) पुलिया निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली का निर्माण आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।
6. बफर स्ट्रिप की लम्बाई 12.00 मी0 एवं चौडाई 3.00 मी0 होनी चाहिए।

31.01.2018
अवधेश कुमार पाण्डेय
उपमहाप्रबंधक – रीटेल क्षेत्र
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
कानपुर रीटेल क्षेत्रीय कार्यालय

7. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाय।

9. जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाय।

10. प्रस्तावित कार्यस्थल का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से 30 सेंमी0 (1 फिट) नीचे रखी जाय।

11. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में, न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

13. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रुप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

14. प्रस्तावित निर्माण कार्य IRC : 12-2009 (Guidelines for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Sub Station) के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि IRC : 12-2009 में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरुप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शा0सं0 RW/NH/19-DO-III दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिक रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख) मात्र एक मुश्त लाइसेन्स के रुप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र है उसके स्थान पर श्री उमाकान्त पाण्डेय, पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद पाण्डेय, निवासी ग्राम–हिसामपुर, पोस्ट–संग्रामगढ़, जिला प्रतापगढ़ उ0प्र0 के नाम शपथपत्र संलग्न है।

संलग्नक :– मानचित्र एक प्रति।

(एस0के0 गुप्ता)
मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद

पत्रांक :– /29याता(प्रता0)–इ0क्षे0/17 दिनांक :– / /201

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को उनके पत्र संख्या 331/1सी.–प्र0फ0वृ0/17 दिनांक 24.01.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

31.01.2018

अवधेश कुमार पाण्डेय
उपमहाप्रबंधक – रिटेल
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
कानपुर रीटेल क्षेत्रीय कार्यालय

मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद